



कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-षष्ठम्  
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक:- रा.आ.म./जयपुर.खण्ड-6/2021-22/866

दिनांक:- 10-03-22


**बिड सूचना संख्या 02/2021-22**

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर में खण्ड षष्ठम्, जयपुर के अधीन निम्नलिखित कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिड क्रम संख्या 1 के लिए ई-प्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन बिड आवासन मण्डल में पंजीकृत समुचित श्रेणी एवं अन्य विभागों में "एए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से बिड आमंत्रित की जाती है। ई-प्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन बिड हेतु प्रपत्र, ड्राफ्ट एवं प्रोफार्मा A, B, C & D दिनांक 16.03.2022 से 05.04.2022 को सायं 6.00 बजे तक अपलोड/डाउनलोड की जानी है। बिड शुल्क मय जी.एस.टी. एवं अमानत राशि का ड्राफ्ट आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम्, जयपुर रा.आ.म. जयपुर के पक्ष में देय एवं ऑनलाईन शुल्क रू. 1000/- का ड्राफ्ट जो कि MD RISL JAIPUR के पक्ष में देय बनवाकर, मूल प्रपत्रों के साथ मूल ही खण्ड षष्ठम् में दिनांक 06.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। बिड दिनांक 06.04.2022 को 3:00 बजे ई-प्रोक पोर्टल से खोली (डाउनलोड की) जावेगी। अमानत राशि 1/2 प्रतिशत आवासन मण्डल में पंजीकृत संवेदकों हेतु तथा अन्य विभागों में समुचित "एए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों हेतु 2 प्रतिशत राशि नियमानुसार जमा करवानी होगी। उपरोक्त कार्य दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस पर बिड विक्रय एवं प्राप्त कर खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	यू.बी.एन. नम्बर	अनुमानित राशि (लाखों में)	बिड शुल्क	कार्य की अवधि
1	Regular Repair and Annual Maintenance of Technology Park at Shipra Path, Mansarovar, Jaipur.		24.72	1000.00	12 माह


नोट :-

- बिड बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
- राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्यनिधि/जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा, सशर्त बिड स्वीकार नहीं होगी।
- बिड शुल्क/ प्रक्रिया शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर नियमानुसार GST अतिरिक्त देय होगा।
- राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक एफ2(1)वित्त/जीएसटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के क्रम में जो संवेदक बिड सिक्योरिटी (EMD) के विरुद्ध घोषणा पत्र नियमानुसार दे सकते हैं।

  
आवासीय अभियन्ता  
खण्ड षष्ठम् जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/ वित्तीय सलाहकार राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा0आ0म0, मानसरोवर, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक एनालिस्ट कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म. जयपुर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- श्री एम.एस. कटारा, परि0 अभि0 (व0), खण्ड-षष्ठम्, जयपुर को भेजकर लेख है कि बिड संख्या 1 के प्रपत्र दिनांक 16.03.2022 से पूर्व एस. पी. पी. पोर्टल पर अपलोड हेतु उपलब्ध करवायें।
- रक्षित पत्रावली/ कार्यालय प्रति।

  
आवासीय अभियन्ता  
खण्ड षष्ठम् जयपुर